



महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर

सामान्य भविष्यनिधि खाते से स्वयं के अंशदान के प्रतिशत के
स्थायी आहरण की स्वीकृति हेतु आवेदन पत्र

1. नाम :
2. पद एवं कार्यालय/विभाग :
3. सामान्य भविष्यनिधि खाता संख्या :
4. विश्वविद्यालय में नियुक्ति की तिथि :
- (1) राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर
- (2) म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर
5. स्थायी आहरण की राशि एवं प्रतिशत
6. स्थायी आहरण राशि लेने का प्रयोग (सप्रमाण)
(नियम 16, 17 एवं 18 को देखकर)

कूलसचिव
म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर द्वारा अग्रेषित
अग्रेषण अधिकारी

आवेदक के हस्ताक्षर

संस्थापन अनुभाग का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक पद
विभाग/कार्यालय विश्वविद्यालय सेवा में दिनांक से कार्यरत हैं और
दिनांक तक वर्ष का सेवाकाल पूरा कर लिया है। इनकी जन्मतिथि
..... है। इनकी सेवानिवृत्ति में इस प्रकार दिनांक को वर्ष
माह दिन की अवधि शेष बनती है क्योंकि इनकी सेवानिवृत्ति दिनांक
है।

उपकूलसचिव-संस्थापन

लेखा एवं वित्त अनुभाग

स्वयं के सकल अंशदान की कुल राशि दिनांक का रूपये
बकाया अग्रिम की कुल राशि दिनांक को रूपये में से
बकाया अग्रिम की राशि को समायोजित कर राशि रूपये का
स्थायी आहरण स्वीकार किया जाता है।

प्रकरण लिपिक अनुभागाधिकारी सहायक/उप कूलसचिव वित्तनियंत्रक कूलसचिव
राशि रूपये का चैक क्रमांक दिनांक प्राप्त किया।